न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – डॉ दिनेश राय सापेला, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 23/2023
रजिस्ट्रेशन नं. :2022/29

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा हाल सिरोही (राज)

बनाम

अभियुक्त :–

1. स्नेहा भार्गव पत्नि श्री अंकुरजी भार्गव मैसर्स:– श्री बेकरी एण्ड कैफे, **Relaxin Hotal, Udaipur Road, Banswara**
2. **Ankush Nalwaya Manglam Sales, Opp. LIC Office Outside Delhi Gate, Udaipur**
3. **Krishna Foods Products, Survey No. 239, Plot No. 18, Veraval (Shapar) Disstt. Rajkot (Gujarat)**
   Partner
   (i) **Jagdish Keshavji Hanshaliya**
   (ii) **Rajesh Keshavji Hanshaliya**
   (iii) **Prital Manshukha Hanshaliya**

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 01.05.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा हाल सिरोही (राज.) के द्वारा दिनांक 09–02–2022 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 17–02–2022 को 04.30 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु मैसर्स – श्री बेकरी एण्ड कैफे, बांसवाडा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर स्नेहा भार्गव पत्नि श्री अंकुरजी भार्गव उपस्थित थी। विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स श्री बेकरी एण्ड कैफे, **Relaxin Hotal, Udaipur Road, Banswara** का निरीक्षण करने पर **Papaya Murabba (Brand- Bansi)** के 08 पैक पैकेट प्रत्येक पैकेट 350 gm को आम जनता को खाद्य सामग्री विक्रय हेतु पाया। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति मे फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **Papaya Murabba (Brand- [illegible])** के 04 मूल पैक पैकेट वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 12[illegible] रु. [illegible]ता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर [illegible] एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **Papaya Murabba (Brand- Bansi)** के [illegible] पैकेट के [illegible] भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मु[illegible]चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-951** लिखा व नमूने का विवरण अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2023.07.11 13:23:17 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

किया गया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता तथा गवाहान के भी हस्ताक्षर करवाये गये तैयार लेबल प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाया गया। प्रत्येक नमूने को नियमानुसार सील बन्द किया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/84-85 दिनांक 15-03-2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 219 दिनांक 07--03-2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Papaya Murabba (Brand-Bansi)** का नमुना कोड क्रमांक **W-951** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 and Misbranded food under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा Substandard and Misbranded food under section 3(1)(zx) and 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51व 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 13-02-2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणों को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 01.05.2023 को अप्रार्थीगणों ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/84-85 दिनांक 15-03-2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 219 दिनांक 07--03-2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **Papaya Murabba (Brand-Bansi)** का नमुना कोड क्रमांक **W-951** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 and Misbranded food under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगणो द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी [illegible] की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf) के तहत सबस्टैण्डर्ड व मिसब्राण्डेड [illegible] Papaya Murabba (Brand- Bansi) को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एव मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2023.07.11 13:23:17 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

व नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है। आरोपीगणो को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थीगणों स्नेहा भार्गव पत्नि श्री अंकुरजी भार्गव मैसर्स – श्री बेकरी एण्ड कैफे, Relaxin Hotal, Udaipur Road, Banswara, को रूपये 10000/– (अक्षरे रू दस हजार मात्र) से, Ankush Nalwaya Manglam Sales, Opp. LIC Office Outside Delhi Gate, Udaipur, को रूपये 20000/– (अक्षरे रू बीस हजार मात्र) से तथा Krishna Foods Products, Survey No. 239, Plot No. 18, Veraval (Shapar) Disstt. Rajkot (Gujarat) Partner (i) Jagdish Keshavji Hanshaliya (ii) Rajesh Keshavji Hanshaliya (iii) Prital Manshukha Hanshaliya को रूपये 50000/– (अक्षरे रू पचास हजार मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2023 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति० जिला (कलक्टर)
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2023.07.11 13:23:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner